राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :प.8 (विविध)/एनएसएस/अकाद/19/ 1197

दिनांक :29 सितम्बर, 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– ''नो मास्क नो एन्ट्री'' जन जागरण पखवाड़ा आयोजित करने बावत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी की **''नो मास्क नो एन्ट्री''** की पहल को आमजन के हित में एक जनांदोलन में परिवर्तित करने के उत्तरदायित्व भाव से राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्र, सैनिकों, स्काउट्स के रोवर्स व रेंजर्स एवं शहरी निकायों के पार्षद, पंचायत राज के जन प्रतिनिधि इत्यादि को सक्रिय रूप से इस अभियान में सम्मिलित करते हुए दिनांक 2 अक्टूबर 2020 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती से 17 अक्टूबर, 2020 तक जन जागरण पखवाडा आयोजित किया जायेगा।

शिक्षकों, एन.एस.एस., एन.सी.सी. व स्काउट से सम्बद्ध सभी अधिकारियों व छात्र–छात्राओं को प्रतिदिन जनजागरण पखवाड़े में सक्रिय योगदान देना होगा। अधिकारियों के निर्देशन में कोविड–19 से संबंधित प्लेकार्ड्स/पेंटिंग्स/ड्राइंग्स तैयार करवायी जाकर उनका प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर किया जायेगा जिससे आम नागरिक कोविड–19 से जुड़े खतरों को पहचानें व उससे बचने के उपायों के प्रति सजग रहें। इसके अतिरिक्त छात्र–छात्राएं घनी आबादी वाले क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, गोद लिये हुये गांवों, सार्वजनिक स्थानों यथा बाजार, बस स्टैण्ड, बैंक, रेलवे स्टेशन इत्यादि में मास्क पहनने के फायदे बतायेंगें तथा निःशुल्क मास्क वितरण भी करेंगे। साथ ही सी.एस.आर. से **''नो मास्क नो एन्ट्री''** के स्टीकर्स प्राप्त कर उन्हें सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक यातायात के साधनों जैसे बसे, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो आदि पर चिपकायेंगें। कोविड से लड़ाई अस्पताल से बाहर प्रत्येक गांव, गली और सड़क पर भी अत्यन्त आवश्यक है। इन सभी छात्र–छात्राओं व अधिकारियों को उनके सामाजिक दायित्व में सक्रिय भूमिका निभाने के लिये तैयार करना प्रासंगिक है। इस हेतु एक नोडल अधिकारी की देखरेख में सभी एन.सी.सी., एन.एस.एस. व स्काउट की इकाईयों को कार्ययोजना के अनुसार सक्रिय भागीदारी निभाने के लिये न केवल प्रेरित किया जायेगा बल्कि उनकी गतिविधियों की निरन्तर मॉनिटरिंग भी की जायेगी।

सभी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर गाने/विडियोज तैयार करवाकर उन्हें सोशल मिडिया के माध्यम से प्रचारित करेगें। इसके अलावा जागरूकता के पर्चे छपवाकर उन्हें अधिक से अधिक लोगों को बांटने का भी काम करेगें। **''नो मास्क नो एन्ट्री''** जन आंदोलन को एन.एस.एस. के जिला समन्वयकों एवं जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार करवायेगें। इस अभियान को सरकार के पॉच विभाग यथा उच्च व तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय विकास विभाग एवं युवा एवं खेल मंत्रालय विभाग के समन्वित प्रयासों से कार्य योजना तैयार करके मूर्त रूप दिया जायेगा। इनके साथ–साथ राजीव गांधी स्टडी सर्कल, नेहरू युवा केन्द्र, राजस्थान शिक्षक कांग्रेस व अन्य शिक्षक संगठनों का भी इसमें पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम दिनांक 02 अक्टूबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020 तक ''नो मास्क नो एन्ट्री'' जनजागरण पखवाड़े का आयोजन किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यक्रम की रुपरेखा निम्नानुसार है –

- राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी जिला समन्वयक, NCC के ANO तथा स्काउट एण्ड गाइड के प्रभारी अधिकारी स्थानीय स्तर पर जागरूकता संबंधी वेबिनार का आयोजन करेगें।
- **"नो मास्क नो एन्ट्री"** का स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों द्वारा प्रचार–प्रसार।
- व्हाट्सअप ग्रुपों का स्थानीय स्तर पर निर्माण व कोविड–19 के प्रति जागरूकता संदेशों का प्रसार।
- मास्क जागृति अभियान, उचित दूरी, भीड़–भाड़ से दूर रहने का संदेश देना होगा।
- स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों, ग्राहकों, सब्जी मण्डियों में जागरूकता अभियान चलाना एवं मास्क न पहनने वाले लोगों को मास्क पहनाना।
- नगर निगम/नगर पालिकाओं के स्थानीय पार्षदों के सहयोग से गरीब बस्तियों व सघन आबादी क्षेत्रों में मास्क वितरण व कोविड जागृति अभियान।
- पॉच–पॉच छात्रों का समूह बनाकर **"नो मास्क नो एन्ट्री"** का बैज, कैप का सार्वजनिक स्थानों जैसे–रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, बाजार, मण्डियों, सरकारी दफतरों में प्रभावी प्रदर्शन से जागृति अभियान को गति देना।
- स्लोगन व नारों की तख्तियों के साथ छात्र समूहों का बाजारो व आम जगहों पर प्रदर्शन।
- **"नो मास्क नो एन्ट्री"** की एक मिनट की डॉक्यूमेण्ट्री का निर्माण व प्रदर्शन।
- ट्रैफिक प्वाइंट्स पर ट्रेफिक पुलिस के सहयोग से जागृति अभियान।
- सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे– बसों, ट्रेनों, ऑटो, ई–रिक्शा आदि पर **"नो मास्क नो एन्ट्री"** के स्टीकर चिपकाना।
- पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स के माध्यम से जागृति अभियान।
- व्यापारिक प्रतिष्ठानों व दुकानदारों को **"नो मास्क नो एन्ट्री"** की पट्टियां वितरित कर उन्हें Display करने के लिए प्रेरित करना।

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त, कालेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
4. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप–4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, प्रादेशिक केन्द्र, एन.एस.एस., बी–7, देवनगर,टोंक रोड, जयपुर ।
6. संबंधित जिला समन्वयक को पालनार्थ।
7. वेब प्रभारी, आकाशि, जयपुर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली।

29/9/2020

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)